



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर  
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(130)ग्रावि/नरेगा/वृक्षारोपण/2020/RK-00070 जयपुर दिनांक: 09 JUL 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2020 को आयोजित होने वाले वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के आयोजन बाबत।

प्रसंग :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7(4)ग्रावि/नरेगा/एसई/परिवृक्षा./2014/00994 दिनांक 26.06.2020।

महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत की उपयुक्त गोचर भूमि अथवा राजकीय भूमि/कार्यालय/विद्यालय भूमि जिस पर चार दीवारी अथवा पौधों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था हो, पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के सफल आयोजन हेतु कृपया निम्न कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें-

1. वृक्षारोपण कार्य हेतु कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के समन्वय से क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित किया जावे, ताकि ये प्रगतिशील कृषक वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान अपने खेतों पर अधिक से अधिक संख्या में उपयुक्त पौधों का पौधारोपण करावें।
2. क्षेत्र के भामाशाहों को भी वृक्षारोपण कार्य में सहयोग हेतु प्रोत्साहित किया जावे। मौके की स्थिति अनुसार ट्री गार्ड की व्यवस्था भामाशाहों के सहयोग से की जा सकती है।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं एवं कम्पनियों के कारपोरेट सोशियल रेसपोन्सिबिलिटी (CSR) फण्ड का उपयोग किये जाने की सम्भावना तलाशी जावें। ट्री गार्ड की व्यवस्था CSR फण्ड से भी की जा सकती है।
4. क्षेत्र में निम्बोली तथा अन्य उपयुक्त बीजों का संग्रहण किया जा सकता है तथा वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान उन्हें खेतों अथवा उपयुक्त चारागाह भूमि पर डलवाया जा सकता है, ताकि प्राकृतिक रूप से अंकुरित हो सकें।
5. जिले के सभी लाइन विभागों, विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के सफल आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जावे तथा बैठक में प्राप्त Innovative सुझावों को क्रियान्वित किये जाने का प्रयास किया जावे।

6. योजनान्तर्गत चयनित बेयरफुट टैक्नीशियन (BFT) तथा स्वच्छाग्रहियों का सहयोग भी वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान लिया जा सकता है।
7. राजीविका के जिला परियोजना प्रबन्धकों (DPM) को स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर लेवल फैंडरेशन तथा अन्य सहयोगियों की सहायता से वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान स्थानीय प्रजाति के पौधों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
9. वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मनाये जाने वाले वृक्षारोपण महोत्सव कार्यक्रम को योजनान्तर्गत दिनांक 15.07.2020 को आयोजित होने वाले वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के साथ मनाया जावे तथा यह प्रयास किये जावे कि रोपित किये जाने वाले पौधे बहुत छोटे ना हो तथा कम से कम 2-3 फीट की लम्बाई के हों।
10. एमआईएस एण्ट्री-
  - 10.1 नरेगा सॉफ्ट पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्यों की PO login से वर्क प्रोजेक्शन एण्ट्री के दौरान Estimated Plants & Area Covered (in Ha.) की एण्ट्री की जाती है, परन्तु इसे PO login में उपलब्ध ऑप्शन Update Estimated Outcome से अपडेट नहीं किया जा रहा है। अतः वृक्षारोपण से सम्बन्धित कार्यों हेतु Outcome को नियमित रूप से अपडेट किया जावे।
  - 10.2 पौधारोपण से सम्बन्धित प्रगतिरत कार्यों की प्रविष्टियों की समीक्षा की जावे एवं आवश्यकता होने पर इन कार्यों के Estimated Plants & Area Covered (in Ha.) को अपडेट किया जावे।
  - 10.3 इस मानसून सत्र में करवाये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा एमआईएस से ही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
  
 (राजेश्वर सिंह)  
 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस





राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर  
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 7(4)ग्रावि/नरेगा/एसई/परिसर वृक्षा./2014/RK-00994

जयपुर दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलक्टर, समस्त।

26 JUN 2020

विषय :- 15 जुलाई, 2020 को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वृक्षारोपण  
वार्षिकोत्सव के आयोजन बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में आगामी मानसून में पर्यावरण संरक्षण के साथ-2 आस-पास के माहौल को हराभरा, खुशनुमा एवं सुन्दर बनाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सघन वृक्षारोपण करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देने हेतु माह जुलाई, 2020 में योजनान्तर्गत वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जावे। वार्षिकोत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत की उपयुक्त गोचर भूमि अथवा राजकीय भूमि/कार्यालय/विद्यालय भूमि जिस पर चार दीवारी अथवा पौधों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था हो, पर किया जावे।

वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एक अनुमत गतिविधि है। वृक्षारोपण का कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के तहत नियमानुसार किया जावे। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन माह जून, 2020 के अन्त तक सम्भावित है, अतः आवश्यक व्यवस्था शीघ्र कर ली जावे। वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित वृक्षारोपण कार्यों की मानसून आने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृतियाँ जारी कर ली जावे तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित अग्रिम मृदा कार्य पूर्ण कर लिया जावे। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़क/नहर/तालाब/नाड़ी के किनारे, राजकीय कार्यालय एवं विद्यालय परिसरों (जिनमें चारदीवारी उपलब्ध है) में सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया जावे। इस कार्य के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक छायादार एवं फलदार पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जावे एवं तकमीने में 4 वर्ष तक रखरखाव का प्रावधान किया जावे। योजनान्तर्गत पौधों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र की आवश्यकतानुसार डिच कम बण्ड फैंसिंग, थौर/लाइव फैंसिंग, सूखे पत्थर की चिनाई से तैयार दीवार (पहाड़ी क्षेत्रों में) बनाई जावे।

वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के आयोजन का भरपूर प्रचार-प्रसार किया जावे। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर स्थापित विभिन्न राजकीय एवं अनुमोदित निजी नर्सरियों में क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म के पौधों की उपलब्धता का आंकलन करवाकर नियमानुसार वृक्षारोपण हेतु पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जावे। वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव के दौरान कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। उत्सव में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों,

सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं एवं छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जावे। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी स्वयं भी एक या एकाधिक वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव में भाग लें।

यदि अपरिहार्य कारणवश 15 जुलाई, 2020 को किसी जिले/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण वार्षिकोत्सव का आयोजन करना सम्भव न हो, तो इसे उक्त तिथि के पूर्व या पश्चात् भी आयोजित किया जा सकता है।

भवदीय  
(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि परावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
7. सहायक निदेशक, आईईसी, कार्यालय हाजा को प्रचार-प्रसार हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस